न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:– 14 /2020 तारीखरजू:– 3/7/2020

उनवान:– मगन बनाम शेरसिंह

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
3/7/2020	प्रार्थी की और से श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 10.07.2020 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	2082-85 3/7/2020
10.7.20	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं. 1 व 2 की ओर से श्री विजयभरती व छुट्टनलाल मीना की ओर से वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी वकील ने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दू पर बहस करने का कथन किया व बहस मे कथन किया कि विवादित आराजीयात शामलाती है विधिवत तकासमा नही हुआ है. गैरसायल्लान की ओर से पुख्ता निर्माण किया जारहा है. इसलिए गैरसायल्लान को निर्माण कार्य करने वास्ते पाबन्द किया जावे। अप्रार्थी 1 व 2 के वकील ने कथन किया कि जवाब पेश करने समय दिया जावे। वकील उभय पक्ष की बहस सुनकर मनन करते हुए शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। विवादित आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 व 2 की सहखातेदारी की भूमि है। [illegible] एवं अप्रार्थी नं. 1 व 2 को आगामी सुनवाई तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम मोरड़ा स्थित भूमि खसरा नम्बर 335/4750	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:33:19 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
12/5/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उप प्रार्थी/वकील कोई उपस्थित नहीं। बाद 2 आवाज दिलाई गई इसके उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं हुआ इसलिए प्रार्थी/वकील का प्रार्थना पत्र आसामी मीणावाड़ा प्रार्थी/वकील की अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार तामील बाद के काम कर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:33:19 IST
Reason: SelfAttested